

राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ4(136)आयो/आकाशि/2011/पार्ट/237 दिनांक: 13 मार्च, 2012

**आदेश**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद अन्तर्गत निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में उनके सम्मुख दर्शाये गये विभिन्न विषयों में नवीन पद (पूर्णतः अस्थाई) सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | महाविद्यालय                        | विषय                     | आवंटित पद |
|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1       | राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा        | Garment Pro. & Exp. Man. | 02        |
| 2       | राजकीय कन्या महा., चौमू            | Psychology               | 01        |
| 3       | राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा       | Psychology               | 01        |
| 4       | राजकीय कन्या महा., शाहपुरा         | Psychology               | 01        |
| 5       | राजकीय कन्या महा., कोटपूतली        | Psychology               | 01        |
| 6       | राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना      | Psychology               | 01        |
| 7       | राजकीय महाविद्यालय, खेतडी          | Psychology               | 01        |
| 8       | राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा      | Social Work              | 01        |
| 9       | राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भील.) | Textile                  | 01        |
| 10      | राजकीय महाविद्यालय, खैरवाडा        | Research Officer         | 01        |
| 11      | राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा      | Research Officer         | 01        |

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151101273 दिनांक 21.12.2011 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में की जाती है।

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्ययधीन दी गई है:-

1. उपरोक्त सृजित नवीन पद पूर्णतया अस्थाई प्रकृति के हांगें अर्थात् आने वाले समय में ज्यों ही व्याख्याता सेवा निवृत्त होते हैं उक्त सोमा तक सृजित पद समाप्त हो जावेगें।
2. जिन महाविद्यालयों में उक्त पदों का सृजन किया जावेगा, उनमें विभागीय नॉर्म्स के अनुसार पर्याप्त छात्र संख्या उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जावे। विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के नवीन संकाय/नवीन संकाय खोले जाने की मांग के आधार पर उन स्थानों पर ही नॉर्म्स के आधार पर नवीन संकाय/ नवीन सैक्शन खोले जाने हेतु प्राथमिकता दी जावे।



(सुबीर कुमार)  
निदेशक

क्रमांक:एफ4(136)आयो/आकाशि/2011/पार्ट/237-240 दिनांक: मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (कार्मिक/प्रशासन), कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित प्राचार्य।
- ✓ 11. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता।
12. नियुक्ति शाखा/रक्षित पत्रावली।



(डॉ. सी.एम. खटीक)  
संयुक्त निदेशक